न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 10 / 2022

जीसीएमएस संख्या: 2022 / 140

1. माताप्रसाद पुत्र श्री आदिराम जाति जाटव निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र आदिराम जाति जाटव निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील व जिला धौलपुर
2. रमेश । पुत्रगण आदिराम जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम बोथपुरा तहसील व
3. पप्पू । जिला धौलपुर हाल निवासी लालजीत कोलोनी सरमथुरा रोड बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर
4. वासदेव पुत्र आदिराम जाति जाटव निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम दरियापुर तहसील व जिला धौलपुर?
5. राकेश पुत्र आदिराम जाति जाटव निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी बस स्टैण्ड के पीछे नयावास बसेडी तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर
6. मुन्नी पत्नी सुभाष जाति जाटव निवासी अमरूपुरा वाली गली रामनगर प्रथम आगरा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0 ....असल प्रतिवादीगण
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वहैसियत लैण्ड होल्डर ......तरतीवी प्रतिवादी

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 21.06.2018 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 10.02.2020 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। दिनांक 29.11.2021 को सुनवाई के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से हाजा न्यायालय में सुनवाई प्राप्त हुई। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 648 दिनांक 04.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारो को विवादित आराजी खसरा नम्बर 352, 353, 157/766 स्थिति ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. माताप्रसाद पुत्र आदिराम जाति जाटव सा. देह खातेदार	1517/766/4	0.1825 है0
2. रमेश पुत्र आदिराम जाति जाटव सा. देह खातेदार	1517/766/3	0.1825 है0
3. राकेश पुत्र आदिराम जाति जाटव सा. देह खातेदार	1517/766/2	0.1825 है0
4. राजेश पत्नी होतमसिंह जाति जाटव सा. का पुरा खातेदार	1517/766/1	0.1986 है0
	352/3	0.0633 है0
	353/3	0.1029 है0
5. वासदेव पुत्र आदिराम जाति जाटव सा. देह खातेदार	352/2	0.0632 है0
	353/2	0.1192 है0
6. विजयसिंह पुत्र आदिराम जाति जाटव सा. सा. देह खातेदार	352/1	0.0632 है0
	353/1	0.1193 है0

कुल किता 10 रकवा 1.2772 हैक्टेयर बाकै ग्राम बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल लगान 15.55 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 15 रूपये 55 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 31 रूपये 10 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)